संख्या–702/III (2)/04–15(बजट) 2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 26 मई, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में राजभवन नैनीताल परिसर स्थित मोटर गैराज के पास जैड ब्लाक के भवनो के विशेष मरम्मत के निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–347/17भवन–उत्तरांचल /04 दिनांक 21–04–04 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन नैनीताल परिसर स्थित मोटर गैराज के पास जैड ब्लाक के भवनो के विशेष मरम्मत के निर्माण कार्यो के लिए प्रेषित आगणन रू0 5.86 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित औचित्यपूर्ण धनराशि 5.66 लाख(रू0 पांच लाख छियासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 मे इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन मे उल्लिखित दरो का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरो का जो दरे शैडयूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गयी हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए लोक

–2–

निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/ विशिष्टयो के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियो से अवश्य करा ले, निरीक्षण के पशचात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए ।

8– आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय ।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय ।

10– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये,कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व संबधित अधिशासी अभियन्ता/निर्माण एजेन्सी का होगा ।

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ।

12– उक्त स्वीकृत धनराशि को कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि के कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने तथा 80 प्रतिशत तक धनराशि उपयोग किये जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

14– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005केअनुदान संख्या–22लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत/80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्यभवन–12–पूल्ड आवास योजना (चालू कार्य)–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–177/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 24, मई ,2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीय

(टी.सी. पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या-702(1)/।।।(2)/04-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद /देहरादून ।
2- आयुक्त कुमाऊ मंडल /नैनीताल ।
3- श्री एल.एम. पन्त,अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग),उत्तरांचल शासन ।
4- जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी, नैनीताल
5- अपर सचिव श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल ।
6- मुख्य अभियन्ता , कुंमाऊ क्षेत्र,लो0नि0वि0, अल्मोडा ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून ।
9- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

rakesh- Go mw